

पत्र संख्या-वन भूमि-16/2017-1403 व०प०

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

राँची, दिनांक-15.4.19

विषय :- मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल-14.17 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-448 दिनांक-08.06.2017, पत्रांक-478 दिनांक-13.06.2017 एवं पत्रांक-223 दिनांक-21.02.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नकों सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि का mutation प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में करवाया जायेगा।
- (iv) प्रस्तावित वनभूमि के समतुल्य गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (v) प्रस्तावित सेफ्टी जोन का घेराना, रख-रखाव तथा सेफ्टी जोन के डेढ़ गुणे वनभूमि पर वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

07 C

(vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

hij/19
(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-16/2017- *1403* व०प०, राँची, दिनांक- *15.4.19*

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

hij/19
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-वन भूमि-16/2017- *1403* व०प०, राँची, दिनांक- *15.4.19*

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अपर्णा देवी, ग्राम-बिधा, डाकघर-फुलवरिया, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा (झारखण्ड)-825418 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

hij/19
विशेष कार्य पदाधिकारी

o/c

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 14.17 ha of Forest Land for Karma Stone Mining Project (Hazaribagh west Forest Division) in favour of M/s Shri Ramchandra Mehta, Captain Anand Aparna Devi.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 14.17 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 1403 dated-15.4.19

Signature : *11/4/19*

Name & Designation : Sunil Kumar
(O.S.D.)

Forest, Environment & Climate
Change Department

विशेष कार्य पदाधिकारी
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date :

Place : Ranchi

(Official Seal)

OK